न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी लोकेश कुमार गौतम (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2020/00066 **दायर दिनांक 07.09.2020**

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान) —सायल—

बनाम

रेंवन्तराम पुत्र पुर्णाराम जाति रेगर उम्र 42 साल निवासी रेगर बस्ती सुजानगढ़ पुलिस थाना सुजानगढ़ जिला चूरू। —गैरसायल—

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :—

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल**

निर्णय **दिनांक : 11.02.2022**

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में जिला मजिस्ट्रेट चूरु से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल रेंवन्तराम पुत्र पुर्णाराम जाति रेगर उम्र 42 साल निवासी रेगर बस्ती सुजानगढ़ पुलिस थाना सुजानगढ़ जिला चूरू का रहने वाला है, जो सट्टे की खाईवाली करने का आदी है। समाज के नव युवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :—

क.स.	मुकदमा न0 एवं दिनांक	जुर्म धारा	नतीजा पुलिस	जे.एफ. नम्बर	फैसला अदालत
1	156/09.06.2018	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	चालान 16.07.2018	667/2018	सजा 16.07.2018
2.	327/18.09.2019	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	चालान 17.12.2019	1287/2019	सजा 17.12.2019

अतः इस्तगासा विरुद्ध रेंवन्तराम पुत्र पुर्णाराम जाति रेगर उम्र 42 साल निवासी रेगर बस्ती सुजानगढ़ पुलिस थाना सुजानगढ़ जिला चूरू को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही फरमाने का आदेश फरमावें।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त ना ही गैरसायल स्वयं ओर ना ही गैरसायल की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित आये। इसलिए गैरसायल के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू ने उपस्थित होकर अपनी बहस में कहा कि इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 02 बार, 13 RPGO के अन्तर्गत दोष प्रमाणित है। गैरसायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली—भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 02 मुकदमें 13 आर.पी.जी.ओ. मे दिनांक 09.06.2018 व 18.09.2019 के अनुसार प्रमाणित है। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा (3)(3) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल रेंवन्तराम पुत्र पुर्णाराम जाति रेगर उम्र 42 साल निवासी रेगर बस्ती सुजानगढ़ पुलिस थाना सुजानगढ़ जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल रेंवन्तराम पुत्र पुर्णाराम जाति रेगर उम्र 42 साल निवासी रेगर बस्ती सुजानगढ़ पुलिस थाना सुजानगढ़ जिला चूरू को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए थाना क्षेत्र से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना सुजानगढ़ गैरसायल रेंवन्तराम को थानाधिकारी पुलिस थाना छापर को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना छापर की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी थाना छापर में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना सुजानगढ़ व थानाधिकारी पुलिस थाना छापर तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/2/22

(लोकेश कुमार गौतम)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू